बिहार सरकार,
जल संसाधन विभाग।

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के अधीन निर्माणाधीन योजनाओं को समय सीमा के अन्तर्गत पूरा करने के लिए यॉंत्रिक डिप्लोमाधारी को कनीय अभियंता (यॉं0) के पद पर 20,000/- रूपये मासिक पारिश्रमिक पर अधिकतम एक वर्ष के नियोजन हेतु दिनांक 31 जनवरी 2014 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

कोटिवार नियोजन हेतु पदों की संख्या :-

विभाग का नाम	कुल पद	सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ा वर्ग	अति पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्ग की महिला
जल संसाधन विभाग	229	115	37	02	27	41	07

नोट :- राज्य सरकार के प्रावधानानुसार विकलांगों के लिए तीन प्रतिशत पद आरक्षित किये जाएँगे एवं आरक्षण के आधार पर उनकी कोटि में भरे जाएँगे। अनुपलब्धता की स्थिति में उसी कोटि के अन्य योग्य उम्मीदवारों से ये पद भरे जाएँगे।

संविदा के आधार पर नियोजन हेतु सामान्य शर्तें :-

(क) यह नियोजन केवल वैसे यॉंत्रिक डिप्लोमाधारी अभियंताओं की जाएगी जो राज्य सरकार या केन्द्रीय तकनिकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त किये हैं। यॉंत्रिक अभियंत्रण में डिग्री प्राप्त आवेदक का आवेदन मान्य नहीं होगा।

(ख) संविदा के आधार पर नियोजन अधिकतम एक वर्ष के लिए की जाएगी।

(ग) उम्र सीमा दिनांक 01.01.2014 को न्युनतम 18 वर्ष, सामान्य कोटि के उम्मीदवारों के लिए (पुरूष एवं महिला) अधिकतम 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए (पुरूष एवं महिला) 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए (पुरूष एवं महिला) 42 वर्ष।

(घ) नियोजित कनीय अभियंताओं को मात्र 20,000/- रूपये (बीस हजार) प्रतिमाह एक मुश्त राशि पारिश्रमिक के रूप में देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि देय नहीं होगा।

(च) ऐसे नियोजित कनीय अभियंता सरकारी सेवक नहीं माने जाएँगे और सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के वे हक़दार नहीं होंगे। संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितिकरण का इनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

(छ) यदि संविदा की अवधि समाप्ति के पूर्व उसका विस्तार नहीं हो जाता है तो ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी। इस हेतु कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

(ज) इस प्रकार का नियोजन संविदा अवधि की समाप्ति के पूर्व उभय -पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह की संविदा राशि एक मुश्त देकर समाप्त की जा सकेगी।

(झ) ऐसे नियोजित कनीय अभियंताओं को छुट्टी की अनुमानता नहीं होगी। इन्हें सरकारी सेवकों को अनुमान्य आकस्मिक अवकाश मात्र अनुमान्य होगा।

(ट) संविदा पर नियोजित कनीय अभियंताओं की सेवा स्थानांतरणीय नहीं होगी।

(ठ) आवेदक नियोजित स्थान हेतु अपनी ईच्छानुसार दो विकल्प दे सकते हैं परन्तु किसी स्थान पर नियोजन का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

(ड) नियोजन से पूर्व नियमानुसार आवेदक को असैनिक शल्य चिकित्सक (सिविल सर्जन) द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना होगा।

(ढ) प्राप्त आवेदन पत्रों पर वर्णित शर्तों के आधार पर नियोजन हेतु कनीय अभियंताओं का चयन नोडल विभाग द्वारा गठित चयन समिति के द्वारा डिप्लोमा परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। सभी शर्तें सामान्य रहने पर पूर्व में इस विभाग द्वारा नियुक्त संविदा पर नियोजित कनीय अभियंताओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

(त) नियोजन की स्वीकृति एकरारनामा के आधार पर की जाएगी। जिसके स्वीकृति एवं अस्वीकृति का सर्वाधिकार जल संसाधन विभाग (नोडल विभाग) के पास सुरक्षित होगा।

(थ) आवेदन निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से दिनांक 31 जनवरी 2014 के अपराह्न 6.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के पास प्राप्त किये जाएँगे। इसके बाद प्राप्त आवेदनों का संज्ञान नहीं लिया जाएगा एवं डाक विभाग के विलम्ब के लिए नोडल विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। अन्य किसी भी स्त्रोत से प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

डाक द्वारा आवेदन पत्र भेजने का पता :–

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा,
अवर सचिव (प्रबंधन)
जल संसाधन विभाग,
सिंचाई भवन, पटना–800015

(द) आवेदक अगर चाहें तो आवेदन पत्र का प्रपत्र विभागीय वेबसाईट http://wrd.bih.nic.in से भी डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं।

(ध) जल संसाधन विभाग के लिए कनीय अभियंता (याँ0) के पद पर नियोजन होगा। विज्ञापन में अंकित रिक्ति की संख्या आवश्यकतानुसार घट–बढ़ सकती है।

3/1/13

(सुभाष चन्द्र शर्मा)
अवर सचिव (प्रबंधन)
जल संसाधन विभाग।